(च) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) "स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट 1991" के अनुसार गुजरात राज्य में दर्ज वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण क्रमशः 19,388 वर्ग कि० मी० और 11907 वर्ग कि० मी० है जबकि देश में कुल दर्ज वन क्षेत्र 7,70,078 वर्ग कि० मी० और वास्तविक वन आवरण 6,39,182 वर्ग कि० मी० है।

(ग) वे परियोजनायें जिनके सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनेत्तर प्रयोजनों के लिये वन भूमि को उपयोग में लाने के लिये गुजरात राज्य से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और जो केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं निम्नलिखित हैं :

(1) सूरत जिले में झंखारी सिंचाई स्कीम का निर्माण।

(2) बनासकांठा जिले में लघु सीमेंट संयंत्र का निर्माण।

(3) सूरत जिले में सूरत तहसील—नरसारी मार्ग को चौड़ा करना।

(4) साबरकांठा जिले में बोटाली — टोर्टा मार्ग का निर्माण।

(5) बलसाड जिले में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 का निर्माण ।

(6) बनासकांठा जिले में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 14 को चौड़ा करना।

(7) कच्छ जिले में भूमिगत पेयजल पाइप लाइन बिछाना।

(घ) राज्य सरकार से पूरी सूचना प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

शराब के कारखानों के संबंध में स्वीकृति का वापस लिया जाना

1749. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शराब के कुछ कारखानों को प्रदान की हुई अपनी स्वीकृति वापस ले ली है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों के नाम क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वीकृति वापस लिये जाने के बाद भी ऐसे कारखानों को बन्द नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ऐसी 4 मद्य निर्माणशालायें हैं, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के अन्दर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सन्तुष्टि के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने हेतु कदम नहीं उठाये हैं। राज्य सरकारों ने इन दोषी इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

इन मद्य निर्माणशालाओं के नाम हैं :

1. मैसर्स ओ० आर० डिस्टिलरीज, गजुलमंदयम चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश ।

2. मैसर्स कश्मीर डिस्टिलरीज प्रा० लि०, ब्रहमना, जम्मू ।

3. मैसर्स न्यू इण्डिया डिस्टिलरीज, बख्शायपुर सांभा, जम्मू ।

4. राजधानी डिस्टिलरीज, उज्जैन, मध्य प्रदेश।